

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

निवासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-73/2024

तारीख दायर:-02.09.2024  
तारीख निर्णय:-14.05.2025

1. श्री अकबर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी कोल्यारी तहसील फलासिया।  
.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री पीर मोहम्मद पुत्र वजीर मोहम्मद मुसलमान निवासी कोल्यारी तहसील फलासिया।  
2. श्री रफिक पुत्र वजीर मोहम्मद मुसलमान निवासी कोल्यारी तहसील फलासिया।  
3. श्री अब्दुल मजीद पुत्र नजर मोहम्मद मुसलमान निवासी कोल्यारी तहसील फलासिया।  
4. श्री राजुप पुत्र गुल मोहम्मद मुसलमान निवासी कोल्यारी तहसील फलासिया।  
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री दिलीप भामावत

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कोल्यारी पटवार क्षेत्र कोल्यारी तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 2711, 2738, 2741, 3444/2739 किता 04 कुल रकबा 0.3300 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा कोल्यारी पटवार क्षेत्र कोल्यारी तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2711, 2738, 2741, 3444/2739 किता 04 कुल रकबा 0.3300 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार का तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना

उपखण्ड अधिकारी  
झाडोल, जिला-उदयपुर

है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगद्दी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण वास्तव्य रूप से  
हाम्यन तामील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगद्दी  
जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार  
जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार  
जाता है एवं मौजा कोल्हारी पटवार क्षेत्र कोल्हारी तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2711,  
2741, 3444 / 2739 बिन्दा 04 कुल रकबा 0.3300 हे० भूमि की मौके पर कच्चे सम्बन्धी विवाद  
होने की स्थिति में दोनों पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार  
फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा  
करना। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जाये। पत्रावली निर्मित होकर संख्या  
कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया  
था।

(कपिल कुमार कोठारी)  
उपसमूह अधिकारी  
उपसमूह अधिकारी  
मोडल-उदयपुर  
झड़ोल, जिला-उदयपुर